अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुविदत। - www.onlinedoctranslator.com

बीएस विलया से पहले जे.

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी िलिमटेड-
अपील करनेवाला

बनाम

चंद्रपित और अन्य-उत्तरदाताओं

2012 का एफएओ नंबर 2015

िसतम्बर 18, 2018

मोटर वाहन अिधिनयम, 1988-एस.2(21) और एस.10-केंद्रीय मोटर वाहन िनयम, 1989- आरएल.8- एलएमवी में पिरवहन वाहन शािमल हैं- धािरत, 'हल्के मोटर वाहन' की श्रेणी को चलाने के िलए ड्राइिवंग लाइसेंस धारक है पिरवहन वाहन चलाने में सक्षम, िजसका सकल वजन 7500 िकलोग्राम से अिधक नहीं है - पिरवहन वाहन चलाने के िलए अलग से समर्थन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है - अपील खािरज कर दी गई।

आयोिजत,उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में कानूनी स्िथित मुकंद देवेगन बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई है। ओिरएंटल इंश्योरेंस कंपनी िलिमटेड, 2016(4) एससीसी 298, िजसमें इसे िनम्नानुसार रखा गया था: -

> 46. अिधिनयम की धारा 10 के अनुसार ड्राइवर के पास वाहनों की श्रेणी के अनुसार लाइसेंस होना आवश्यक है, न िक वाहनों के प्रकार के आधार पर। वाहनों की एक श्रेणी में िविभन्न प्रकार के वाहन हो सकते हैं। यिद वे वाहनों की एक ही श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे वाहनों को चलाने के िलए िकसी अलग समर्थन की आवश्यकता नहीं है। चूंिक हल्के मोटर वाहन में पिरवहन वाहन भी शािमल है, हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक पिरवहन वाहनों सिहत श्रेणी के सभी वाहन चला सकता है। यह 28.3.2001 को संशोिधत फॉर्म 4 की पूर्व-संशोिधत स्िथित के साथ-साथ संशोिधत बाद की स्िथित भी थी। कोई भी अन्य व्याख्या धारा 2(21) में "हल्के मोटर वाहन" की पिरभाषा और धारा 10 (2) (डी), 1989 के िनयमों के िनयम 8, अन्य प्रावधानों और प्रपत्रों के प्रावधानों के प्रितकूल होगी। प्रावधानों के अनुरूप. अन्यथा भी प्रपत्रों का इरादा कभी भी पिरवहन वाहनों को 'हल्के मोटर वाहनों' की श्रेणी से बाहर करने का नहीं था और हल्के मोटर वाहन के िलए, ऐसे लाइसेंस की वैधता अविध अच्छी है और ऐसे वर्ग के पिरवहन वाहन के िलए भी लागू होती है और धारा 10(2) में अिभव्यक्ित)(ई) अिधिनयम के 'पिरवहन वाहन' में मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी माल वाहन, भारी यात्री वाहन शािमल होंगे

मोटर वाहन िजसे पहले धारा 10(2)(ई) से (एच) में जगह िमली थी और हमारा
िनष्कर्ष उस पाठ्यक्रम और िनयमों से पुष्ट होता है जिस पर हमने चर्चा की है। इस प्रकार हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो हमसे इस प्रकार पूछे जाते हैं:

(i) अधिनियम की धारा 2(21) में पिरभािषत 'हल्के मोटर वाहन' में धारा 2(15) और 2(48) के साथ पिठत धारा 2(21) में िनर्धािरत वजन के अनुसार एक पिरवहन वाहन शािमल होगा। ऐसे पिरवहन वाहनों को संशोधन अधिनियम संख्या 54/1994 के आधार पर हल्के मोटर वाहन की पिरभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

(ii) एक पिरवहन वाहन और सर्वग्राही, दोनों में से िकसी का भी सकल वाहन वजन 7500 िकलोग्राम से अिधक नहीं है। एक हल्का मोटर वाहन और मोटर कार या ट्रैक्टर या एक रोड रोलर भी होगा, िजसका 'अनलेडेड वजन' 7500 िकलोग्राम से अिधक नहीं होगा। और धारा 10(2)(डी) में िदए गए "हल्के मोटर वाहन" श्रेणी को चलाने के िलए ड्राइविंग लाइसेंस धारक पिरवहन वाहन या ऑम्िनबस चलाने में सक्षम है, िजसका सकल वाहन वजन 7500
िकलोग्राम से अिधक नहीं है। या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर, िजसका "िबना लदे वजन" 7500 िकलोग्राम से अिधक न हो। कहने का तात्पर्य यह है िक, जैसा िक ऊपर बताया गया है, हल्के मोटर वाहन वर्ग के पिरवहन वाहन को चलाने के िलए लाइसेंस पर िकसी अलग से समर्थन की आवश्यकता नहीं है। धारा 10(2)(डी) के तहत जारी िकया गया लाइसेंस संशोधन अिधनियम 54/1994 और 28.3.2001 के बाद भी वैध बना रहेगा।

(iii) धारा 10(2) के खंड (ई) से (एच) को प्रितस्थािपत करते समय 14.11.1994 से अिधनियम संख्या 54/1994 के आधार पर िकए गए संशोधन का प्रभाव, िजसमें धारा 10 (2) में "मध्यम माल वाहन" शािमल था।)(ई), धारा 10 (2)(एफ) में मध्यम यात्री मोटर वाहन, धारा 10(2)(जी) में भारी माल वाहन और धारा 10(2)(एच) में "भारी यात्री मोटर वाहन" अिभव्यक्ित के साथ ' पिरवहन वाहन' जैसा िक धारा 10(2)(ई) में प्रितस्थािपत है, केवल उपरोक्त प्रितस्थािपत वर्गों से संबंिधत है। यह पिरवहन वाहन को अिधनियम की धारा 10(2)(डी) और धारा 2(41) यानी हल्के मोटर वाहन के दायरे से बाहर नहीं करता है।

(iv) "पिरवहन वाहन" को शािमल करके फॉर्म 4 में संशोधन का प्रभाव केवल उन श्रेिणयों से संबंिधत है िजन्हें वर्ष 1994 में प्रितस्थािपत िकया गया था और "हल्के मोटर वाहन" की श्रेणी के पिरवहन वाहन के िलए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्िरया जारी है। जैसा था वैसा ही हो और इसमें कोई बदलाव नहीं िकया गया है और पिरवहन वाहन चलाने के िलए अलग से समर्थन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यिद
ड्राइवर के पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस है

मोटर वाहन, वह िबना िकसी अनुमोदन के ऐसे वर्ग के परिवहन वाहन चला सकता है।

उपरोक्त िनर्णयों में प्रितपािदत कानून यह है िक एक हल्के मोटर वाहन में धारा 2(15) और 2(48) के साथ पिठत धारा 2(21) के तहत िनर्धािरत वजन के अनुसार परिवहन वाहन शािमल होगा। परिवहन वाहन चलाने के िलए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 2)

आगे आयोिजत,उपरोक्त िनर्णय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है िक हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ित परिवहन वाहन चलाने के िलए भी सक्षम है। मौजूदा मामले में, मोटर वाहन दुर्घटना तब हुई जब प्रितवादी नंबर 10 द्वारा चलाया जा रहा ऑटो िरक्शा सड़क में गड्ढे के कारण पलट गया। ऑटो िरक्शा चालक के पास हल्का मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइिवंग लाइसेंस था। इस पर िववाद नहीं िकया गया है, बल्िक पक्षों के िवद्वान वकील ने माना है िक ऑटो-िरक्शा का कुल वजन 7500 िकलोग्राम से काफी कम है। परिस्िथितयों में, के चालक के रूप मेंऑटो िरक्शाउसके पास 'हल्के मोटर वाहन' चलाने का लाइसेंस था, इसिलए, वह गाड़ी चलाने में सक्षम था ऑटो िरक्शाचूंिक इसका सकल वजन 7500
िकलोग्राम से अिधक नहीं था। और एलएमवी श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने के िलए लाइसेंस पर िकसी अलग से समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, िवचाराधीन मामला पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के िनर्णय द्वारा कवर िकया गया है मुकंद देवेगन कामामला (सुप्रा)।

(पैरा 3)

राजेश बंसल, अिधवक्ता,अपीलकर्ता के िलए. अश्वनी गौड़,

वकील, प्रितवादी संख्या 1 से 7 के िलए। प्रितवादी संख्या 8

के िलए कोई नहीं।

प्रितवादी संख्या 9 और 10 के िलए वकील राजेश के.कटािरया।

बीएस िवालया, जे.(मौखिक)

(1) अपीलकर्ता के िवद्वान वकील का एकमात्र तर्क यही है
एक बार उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास वैध ड्राइिवंग लाइसेंस नहीं था क्योंिक उसके पास केवल हल्के मोटर वाहन चलाने के िलए ड्राइिवंग लाइसेंस था, जबिक उल्लंघन करने वाला वाहन एक परिवहन वाहन था, वसूली का अिधकार बीमा के पक्ष में िदया जाना चािहए था कंपनी-अपीलकर्ता िवद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायािधकरण, िजंद (इसके बाद 'न्यायािधकरण' के रूप में संदिर्भत) द्वारा।

(2) उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में कानूनी स्िथित है

के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा िनपटारा िकया गया **मुकंद देवेगन** बनाम **ओिरएंटल इंश्योरेंस कंपनी िलिमटेड**[1], िजसमें यह िनम्नानुसार आयोिजत िकया गया था: -

> 46. अधिनयम की धारा 10 के अनुसार ड्राइवर के पास वाहनों की श्रेणी के अनुसार लाइसेंस होना आवश्यक है, न िक वाहनों के प्रकार के आधार पर। वाहनों की एक श्रेणी में िविभन्न प्रकार के वाहन हो सकते हैं। यिद वे वाहनों की एक ही श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे वाहनों को चलाने के िलए िकसी अलग समर्थन की आवश्यकता नहीं है। चूंिक हल्के मोटर वाहन में पिरवहन वाहन भी शािमल है, हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक पिरवहन वाहनों सिहत श्रेणी के सभी वाहन चला सकता है।
>
> यह 28.3.2001 को संशोिधत फॉर्म 4 की पूर्व-संशोिधत स्िथित के साथ-साथ संशोिधत बाद की स्िथित भी थी। कोई भी अन्य व्याख्या धारा 2(21) में "हल्के मोटर वाहन" की पिरभाषा और धारा 10 (2) (डी), 1989 के िनयमों के िनयम 8, अन्य प्रावधानों और प्रपत्रों के प्रावधानों के प्रितकूल होगी। प्रावधानों के अनुरूप. अन्यथा भी प्रपत्रों का इरादा कभी भी पिरवहन वाहनों को 'हल्के मोटर वाहनों' की श्रेणी से बाहर करने का नहीं था और हल्के मोटर वाहन के िलए, ऐसे लाइसेंस की वैधता अविध अच्छी है और ऐसे वर्ग के पिरवहन वाहन के िलए भी लागू होती है और धारा 10(2) में अिभव्यक्ित)(ई) अधिनयम के 'पिरवहन वाहन' में मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन शािमल होंगे जो पहले धारा 10 (2) (ई) से (एच) में जगह पाते थे और हमारा िनष्कर्ष पाठ्यक्रम और िनयमों द्वारा सुदृढ़ िकया गया है िजन पर हमने चर्चा की है। इस प्रकार हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो हमसे इस प्रकार पूछे जाते हैं:
>
> (मैं)अधिनियम की धारा 2(21) में पिरभािषत 'हल्के मोटर वाहन' में धारा 2(15) और 2(48) के साथ पिठत धारा 2(21) में िनर्धािरत वजन के अनुसार एक पिरवहन वाहन शािमल होगा। ऐसे पिरवहन वाहनों को संशोधन अधिनियम संख्या 54/1994 के आधार पर हल्के मोटर वाहन की पिरभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।
>
> (ii)एक पिरवहन वाहन और सर्वग्राही, दोनों में से िकसी का भी सकल वाहन वजन 7500 िकलोग्राम से अधिक नहीं है। एक हल्का मोटर वाहन होगा और मोटर कार या ट्रैक्टर या एक भी होगा

---
[1] 2016(4) एससीसी 298

रोड रोलर, जिसका 'बिना लदा वजन' 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। और धारा 10(2)(डी) में दिए गए "हल्के मोटर वाहन" श्रेणी को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारक परिवहन वाहन या ऑम्निबस चलाने में सक्षम है, जिसका सकल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर, जिसका "बिना लदे वजन" 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस पर किसी अलग से समर्थन की आवश्यकता नहीं है। धारा 10(2)(डी) के तहत जारी किया गया लाइसेंस संशोधन अधिनियम 54/1994 और 28.3.2001 के बाद भी वैध बना रहेगा।

(iii)(एच) धारा 10(2) जिसमें धारा 10(2)(ई) में "मध्यम माल वाहन", धारा 10 (2)(एफ) में मध्यम यात्री मोटर वाहन, धारा 10(2)(में भारी माल वाहन) शामिल है। जी) और धारा 10(2)(एच) में "भारी यात्री मोटर
वाहन" धारा 10(2)(ई) में प्रतिस्थापित अभिव्यक्ति 'परिवहन वाहन' के साथ केवल उपरोक्त प्रतिस्थापित वर्गों से संबंधित है। यह परिवहन वाहन को अधिनियम की धारा 10(2)(डी) और धारा 2(41) यानी हल्के मोटर वाहन के दायरे से बाहर नहीं करता है।

(iv)"परिवहन वाहन" को सम्मिलित करके फॉर्म 4 में संशोधन का प्रभाव केवल उन श्रेणियों से संबंधित है जिन्हें वर्ष 1994 में प्रतिस्थापित किया गया था और "हल्के मोटर वाहन" की श्रेणी के परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया वही जारी रहेगी। जैसा कि यह था और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से समर्थन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि ड्राइवर के पास हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है, तो वह उस प्रभाव के किसी भी समर्थन के बिना ऐसे वर्ग के परिवहन वाहन चला सकता है। ”

उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित कानून यह है कि एक हल्के मोटर वाहन में धारा 2(15) और 2(48) के साथ पठित धारा 2(21) के तहत निर्धारित वजन के अनुसार परिवहन वाहन शामिल होगा। परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) उपरोक्त निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति परिवहन वाहन चलाने के लिए भी सक्षम है। वर्तमान मामले में, मोटर वाहन दुर्घटना तब हुई जब ऑटो

प्रितवादी क्रमांक 10 द्वारा चलाया जा रहा िरक्शा सड़क में गड्ढे के कारण पलट गया। ऑटो िरक्शा चालक के पास हल्का मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइिवंग लाइसेंस था। इस पर िववाद नहीं िकया गया है, बल्िक पक्षों के िवद्वान वकील ने माना है िक ऑटो-िरक्शा का कुल वजन 7500 िकलोग्राम से काफी कम है। इन पिरस्िथितयों में, चूंिक ऑटो िरक्शा के चालक के पास 'लाइट मोटर वाहन' चलाने का लाइसेंस था, इसिलए, वह ऑटो-िरक्शा चलाने में सक्षम था क्योंिक इसका कुल वजन 7500 िकलोग्राम से अिधक नहीं था। और एलएमवी श्रेणी के पिरवहन वाहन चलाने के िलए लाइसेंस पर िकसी अलग से समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, िवचाराधीन मामला मुकंद देवेगन मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के िनर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर िकया गया है।

(4) जैसा िक ऊपर बताया गया है, स्िथित के आलोक में, मुझे इसमें कोई योग्यता नजर नहीं आती पुनर्वाद। उसी को खिारज िकया जाता है.

सुमित जंड